सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि, रायपुर में अपीलीय अधिकारी
श्री एच.के.पाण्डेय, कार्यपालक निदेशक (मा.सं.)

अपील प्रकरण कमांक 29/2020 दिनांक 29.10.2020

O/o CE (EITC)
Receipt No. 4108
Date 11 DEC 2020
DGM (IT) / SE (O)
EE.........................
Section ....

श्री अजय बाबर
धमतरी
अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री के.एस.भारती
जनसूचना अधिकारी
होल्डिंग कंपनी, रायपुर
प्रतिअपीलार्थी

—:: आदेश ::—

(दिनांक 28/11/2020 को पारित)

अपीलार्थी श्री अजय बाबर, धमतरी की ओर से प्रकरण पर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)—दो होल्डिंग कंपनी रायपुर के द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी से असंतुष्ट होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील आवेदन दिनांक 29.10.2020 प्रस्तुत किया गया है। जिसे पंजीयन क्रमांक 29/2020 दिनांक 29.10.2020 के द्वारा पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार के अंतर्गत दिनांक 18.10.2018 को आयोजित BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर छ.ग.स्टे.पा.हो.कं.लिमि, की मिटिंग में TBPS अधिकारियों के पदोन्नति के संबंध में पारित संकल्प/निर्णय सहित सम्पूर्ण कार्यवाही विवरण की सत्यापित प्रति चाही गई है।

(3) प्रकरण की सुनवाई दिनांक 24.11.2020 को सांय 4.00 बजे निर्धारित की गई। नियत तिथि के संबंध में अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 18.11.2020 के माध्यम से अवगत कराया गया कि दिनांक 24.11.2020 को अत्यावश्यक संगठनात्मक कार्य की वजह से बस्तर क्षेत्र का प्रवास निर्धारित है। अतः आग्रह है कि प्रकरण में सुनवाई दिनांक 26.11.2020 को रखा जावे।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण की सुनवाई दिनांक 26.11.2020 को निर्धारित की गई, जिसमें अपीलार्थी श्री बाबर एवं प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी तथा संबंधित प्रभाग के (DPIO) श्री वर्गीस उपस्थित हुए। अतः प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

(4) प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी का पक्ष कथन कि कंडिका 02/—टीप में चाही गई जानकारी के संबंध में (DPIO) उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)—एक द्वारा अवगत कराया गया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1)—(ञ) में निहित प्रावधानों के अनुसार व्यक्तिगत सूचना के संबंध में जानकारी प्रकटन हेतु जब तक उसका संबंध लोक क्रियाकलाप या लोकहित से ना हो या जिसमें लोकहित सन्निहित ना हो, प्रकटन नहीं किया जाना है। अतः आवेदक को दस्तावेज दिया जाना संभव नही है।

आवेदक को उक्त वस्तुस्थिति से पत्र कमांक 2010 दिनांक 02.09.2020 के माध्यम से निर्धारित समयावधि के भीतर अवगत कराया गया है।

(5) (अ) निर्धारित तिथि को संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन कर, अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी तथा (DPIO) के तर्क श्रवण किये गये।

(ब) अपीलार्थी का तर्क कि विभिन्न अभियंताओ के TBPS संबंधी पदोन्नति आदेश व्यक्तिगत आदेश नही है। दिनांक 18.10.2018 को आयोजित (BOD) बोर्ड ऑफ डायरेक्टर छ.ग.स्टे.पा.हो.कं. लिमि, की मिटिंग TBPS अधिकारियों के पदोन्नति के संबंध में थी। पारित संकल्प/निर्णय के कारण तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के TBPS कर्मचारी वरिष्ठ होते हुए भी पदोन्नत नही हो सके है, जिनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, अतः इसमें लोकहित सन्निहित है, अतः उक्त दस्तावेज उपलब्ध करायी जाए।

(स) जनसूचना अधिकारी का तर्क कि आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के TBPS प्रकरण से संबंधित नहीं है, व आवेदक द्वारा अभियंता संवर्ग की पदोन्नति से संबंधित जानकारी चाही गई है, जिसके नियम अलग हैं। अतः उक्त से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रभावित होगी, जिसका कोई आधार आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः आवदेक द्वारा वांछित जानकारी किसी भी दृष्टि से लोकहित में सन्निहित प्रतीत नहीं होती है। अतएव सूचना का अधिकार अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार जानकारी प्रकटन हेतु जब तक उसका संबंध लोक क्रियाकलाप या लोकहित से ना हो या जिसमें लोकहित सन्निहित ना हो, प्रकटन नहीं किया जाना है।

(6) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि कंडिका 4/–टीप में जनसूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर जो कार्यवाही की गई है, वह तर्कसंगत है।

अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी/दस्तावेज गोपनीय प्रकृति की है। तत्संबंध में Hon`ble Supreme Court of India in Civil Appeal No- 10044 of 2010 & Ors. Date 13-11-2019 titled as CPIO, Supreme Court of India V. Subhash Chandra Agarwal, के प्रकरण में स्पष्ट उल्लेख है कि personal records, including name, address, physical, mental and psychological status, marks 0btained, grades and answer sheets, professional records, including qualification performance, evaluation report, ACRs, disciplinary proceedings etc, are all personal information, Medical records , treatment , choice of medicine, list of hospital and doctors visited findings recorded, including that of the family members information relating to assests liabilites, income tax returns, detail of investments, lending and borrowing etc are personal information. Such personal information is entitled to protection from unwarranted invasion of privacy and conditional access is available when stipulation of larger public interest is satisfied. This list is indicative and not exhaustive." ऐसे प्रकरणों में धारा 8 (1)–(ञ) में निहित तथ्यों के अंतर्गत उक्त जानकारी प्रकटन नहीं किया जाना है। उक्त जानकारी/दस्तावेज के प्रकटन से व्यक्ति विशेष की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण पढ़ने की संभावना है, अतः ऐसी स्थिति में जानकारी जो कि व्यापक लोकहित से संबंध नही रखता है का प्रकटन नही किया जाना है। अतः कंडिका 05/–टीप के पैरा (स) में दिये गये प्रत्युत्तर, स्वीकार योग्य है। परिणामतः प्रकरण में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता परिलक्षित नही होती है। अतः आवेदक को चाही गयी जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्त के दृष्टिगत दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 29/2020 दिनांक 29.10..2020) एतद् द्वारा नस्तीबद्ध किया जाता है।

Hawsh

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

कमांक :– 01–02/अपील प्रकरण –29/2020/81 रायपुर, दिनांक 28/4/2020

प्रतिलिपि :–

(1) जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(2) उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–एक, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) श्री अजय बाबर, प्रांतीय महासचिव, छ.रा.वि.कर्मचारी जनता यूनियन, एम.पी.–29/110 पवार वकील के सामने, मराठापारा, धमतरी, जिला– धमतरी (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।

(4) मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
अटल नगर, जिला– रायपुर (छ.ग.)
पिन – 492002

Hawsh

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक–0771–2574700